

90227016

392/204



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 973748

BV 973748

Collaboration Agreement

यह सहयोग समझौता (इसके बाद "यह समझौता") 15/03/2024 को किया गया है और 15/03/2024 से प्रभावी है, इनके द्वारा और इनके बीच:

प्रथम पक्ष-द्वितीयपक्ष

Mrs. Divya Singh and Mr. Akshat Sharma

Authorized signatory – Mrs. Divya Singh and Mr. Akshat Sharma

M/s Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.

R/O 910, 9th Floor Marcantile House,
KG Marg, Connaught Place, Central
Delhi, New Delhi -110001

Authorized signatory – Mr. Sandeep
Kumar Singh S/o Mr. Rajendra Prasad,
447/57, Millat Nagar, KDA Colony,
Gallamandi, Naubasta, Kanpur
208021



Akshat S.

Divya



For M/s. Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.
Authorized Signatory



दिनांक 11/25

15/3/24

पता

पुनः

काल का

प्रमाण

अनुप कुमार श्रीवास्तव

विनम्र सहयोग संख्या 122 नया

अग्रे 11/3/2018

अमरीक इ-प्राइम 516 लॉट



भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्राप्ति द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर तृतीय लखनऊ क्रम संख्या 2024229022786
आवेदन संख्या : 202400821069775

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2024-09-13 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्राप्ति का नाम दिव्या सिंह

लेख का प्रकार भारीदारी विवेक

प्रतिफल की धनराशि 0 / 0.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 500

2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 40

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. मुल्यार के अधिप्रमाणीकरण लिए शुल्क

5. कपीशन शुल्क

6. विविध

7. याचिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 540

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2024-09-13 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2024-09-13 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग 1

भाग 1 की प्रतिलिपि पर फिर से लगाया जाने वाला
उपनिबन्धक सदर तृतीय लखनऊ क्रम संख्या 2024229022786
आवेदन संख्या : 202400821069775

अधिनियम 16 1908 की धारा 52 के अधीन रसीद

प्रस्तुतकर्ता या प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र के लिए प्राप्ति का नाम

दिव्या सिंह

नियामक का नाम दिव्या सिंह

लेख का प्रकार भारीदारी विवेक

प्रतिफल की धनराशि 0

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2024-09-13 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि

या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2024-09-13 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



भारत-सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिव्या सिंह

Divya Singh

जन्म तिथि / DOB: 31/08/1983

महिला / FEMALE

9950 8821 7193

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA



पता:
अशुतोष सिंह, 1314- बी, गौर ग्रीन विस्ता, नया
खंड-1, एन.एच.24, साई मंदिर, इन्द्रपुरम,
आई.ई.साहिबाबाद, आई.ई.साहिबाबाद, गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश - 201010

Address:

W/O: Ashutosh Singh, 1314- B, Gaur Green Vista,
Naya Khand-1, N.H.24, Sai Mandir, Indrapuram,
I.E.Sahibabad, PO: I.e.sahibabad, DIST: Ghaziabad,
Uttar Pradesh - 201010



9950 8821 7193



1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in



Scanned with OKEN Scanner

Aadhaar no issued 19/05/2014



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



संदीप कुमार सिंह
Sandeep Kumar Singh
जन्म तिथि / DOB : 10/07/1987
पुरुष / MALE
Mobile: 9956045022
3238 4164 7735
VID : 9141 9450 6708 1794

आधार - आम आदमी का अधिकार

Download Date: 17/11/2024

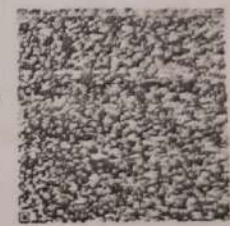


भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA



पता
राजेंद्र प्रसाद 447/57, मिल्लत नगर केडीए कालोनी,
गल्लामंडी नौबस्ता, कासीगांव, कानपुर नगर,
उत्तर प्रदेश - 208021

Address
OO Rajendra Prasad, 447/57, Millat Nagar Kda Colony,
Gallamand, Naubasta, VTC, Kasigawan, PO: Kasigaon, District:
Kanpur Nagar State: Uttar Pradesh, PIN Code: 208021.



3238 4164 7735
VID : 9141 9450 6708 1794



1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

Signature

भारत सरकार
Government of India

आधार
Aadhaar

Issue Date: 23/01/2015

अखिलेश कुमार सिंह
Akhilesh Kumar Singh
जन्म तिथि / DOB : 03/11/1986
पुरुष / Male

9166 2802 9767

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

Print Date: 05/09/2022

पता: आत्मज: कृष्ण कुमार सिंह, राईबीगो,
सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, 228145
Address: S/O: Krishna Kumar Singh,
Raibigo, Sultanpur, Uttar Pradesh, 228145

9166 2802 9767

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

[Handwritten signature]

 भारत सरकार
Government of India

 दीपक यादव
Deepak Yadav
जन्म तिथि/DOB 05/07/1997
प्राय / MALE



6752 9985 9021

मेरा आधार, मेरी पहचान

 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O दयाराम यादव, नारायण रोड,
ग्राम, पोस्ट भितौली काला, मिर्जापुर
जिला, बाराबंकी,
उत्तर प्रदेश - 225003

Address:
S/O Dayaram Yadav, Satruk
road, Gram, post Bhitauli kalan,
Bhitauli Kalan, Barabanki,
Uttar Pradesh - 225003

6752 9985 9021

 1947
 help@uidai.gov.in
 www.uidai.gov.in

Deepak

- 1- द्वितीय पक्ष विकास एवं निर्माण कार्य में दक्ष है एवं विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं का कार्य कर रही है। उपरोक्त दक्षता को ध्यान में रखते हुए प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को विकास कार्य, क्रय - विक्रय, प्रकाशन, प्रचार प्रसार, प्राधिकरण एवं अन्य संगठनों से अनुमोदन की कार्यवाही इत्यादि का अधिकार अनुसूची ए में दिए गये भूमि पर दिया जा रहा है।
- 2- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उनके भूमि के बदले में अनुसूची 'ए' में उल्लिखित प्रतिफल शेयर के रूप में आवासीय विकसित भूमि परियोजना के प्रथम चरण में आवंटित किया जायेगा।
- 3- प्रथम पक्ष इस समझौते के तहत विकास के उद्देश्य से विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि चिन्हित करने के लिए अनुसूची 'ए' संपत्ति के अनुसार भूमि का भौतिक कब्जा दूसरे पक्ष को सौंप देगा। यह समझौता परियोजना के पूर्ण होने तक खण्डित नहीं किया जा सकेगा।
- 4- प्रथम पक्ष प्रतिफल के रूप में विकसित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी भी राशि का दावा नहीं करेगा और बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार करेगा।
- 5- दूसरा पक्ष इस समझौते की शर्तों के अनुसार सीमाओं को बदलने, विकास करने और परियोजना क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन करने में सक्षम होगा।
- 6- अनुसूची 'ए' में दिए गए अनुबन्धित भूमि में विक्रय विलेख पूर्ण हो जाने पर भूमि के नये को ही विकसित भूमि का आवंटन किया जायेगा।
- 7- इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रथम पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि वे किसी भी अदालत में उपरोक्त प्रतिफल और जुर्माने (जैसा कि इस समझौते के तहत लागू है) के अतिरिक्त किसी प्रकार के भुगतान के लिए दावा नहीं करेंगे और कोई भी याचिका दायर करने के हकदार नहीं होंगे। ऐसी याचिका व्यर्थ और अवैध होगी और वे दूसरे पक्ष के आदेशों का पालन करेंगे।
- 8- प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को भूमि के योगदान के बदले में, द्वितीय पक्ष इस परियोजना के तहत न्यायसंगत तरीके से वर्ग मीटर मापने वाले विकसित भूखंड प्रदान करेगा, अर्थात् हिस्सेदारी का वितरण/आवंटन संख्या के अनुरूप क्षेत्र का विकास किया जाएगा। आनुपातिक हिस्सेदारी का कब्जा संबंधित चरण की सीसी (पूर्णता प्रमाण पत्र)/ओसी (अधिकृत प्रमाण पत्र) प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।
- 9- प्रथम पक्ष एतद्वारा घोषणा करता है और दूसरे पक्ष को आश्वस्त करता है कि आज की तारीख में अनुसूची 'ए' और 'बी' संपत्ति पर कोई बाधा, पूर्व समझौते, संयुक्त परिवार के हित, पट्टे/लाइसेंस, ऋण, शुल्क या कुर्की नहीं है और उनके पास है। यदि कोई तीसरे पक्ष का दावा है, तो पहला पक्ष अकेले ही अपनी लागत पर इसे निपटाने के लिए उत्तरदायी होगा और यदि वे उचित समय के भीतर इसे निपटाने में विफल रहते हैं, तो दूसरा पक्ष, बिना बाध्य हुए, ऐसे दावों को निपटाने का हकदार होगा। ऐसी शर्तों पर जिन्हें दूसरा पक्ष उचित और समीचीन समझे और पहले पक्ष की कीमत पर, जो पहले पक्ष पर बाध्यकारी होगा। पहली पार्टी अकेले ही अनुसूची 'ए' संपत्ति के संबंध में सभी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने और शीर्षक की जांच या सीमाओं के सीमांकन आदि के लिए आवश्यक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होगी। भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष आगे यह वचन देता है कि शीर्षक या किसी तीसरे पक्ष के दावे या संस्था के दावे, बैंक के दावे या किसी अन्य दावे या किसी पूर्व समझौते में दोष, यदि कोई हो, के लिए वह अकेला जिम्मेदार होगा। यदि कोई हो, तो तीसरे पक्ष द्वारा और उनके दावों या किसी मुकदमे की भरपाई भी की जाएगी यह उसकी अपनी लागत के बराबर होगा और दूसरा पक्ष इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 10- प्रथम पक्ष इस के द्वारा इस भूमि/परिसर की, दूसरे पक्ष को परियोजना के विकास के उद्देश्य से भौतिक सर्वेक्षण करने की अनुमति देता है

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

For M/s. Agrasheel InfraTech Pvt. Ltd.
[Handwritten Signature]
 Authorised Signatory



चौहददी:(खसरा संख्या- 224)

पूर्व - भूमि खसरा संख्या- 225
पश्चिम - भूमि खसरा संख्या- 222
उत्तर - भूमि खसरा संख्या- 223
दक्षिण - भूमि खसरा संख्या- 225

चौहददी:(खसरा संख्या- 226)

पूर्व - भूमि खसरा संख्या- 225
पश्चिम - भूमि खसरा संख्या- 222
उत्तर - भूमि खसरा संख्या- 223
दक्षिण - भूमि खसरा संख्या- 227

चौहददी:(खसरा संख्या- 228)

पूर्व - भूमि खसरा संख्या- 227
पश्चिम - भूमि खसरा संख्या- 227
उत्तर - भूमि खसरा संख्या- 227
दक्षिण - भूमि खसरा संख्या- 229

चौहददी:(खसरा संख्या- 259 ख)

पूर्व - भूमि खसरा संख्या- 258
पश्चिम - भूमि खसरा संख्या- 237
उत्तर - भूमि खसरा संख्या- 261
दक्षिण - भूमि खसरा संख्या- 237

चौहददी:(खसरा संख्या- 260)

पूर्व - भूमि खसरा संख्या- 258
पश्चिम - भूमि खसरा संख्या- 237
उत्तर - भूमि खसरा संख्या- 261
दक्षिण - भूमि खसरा संख्या- 237

चौहददी:(खसरा संख्या- 222 मि०)

पूर्व - गाटा संख्या 222 का शेप भाग
पश्चिम - गाटा संख्या 220
उत्तर - गाटा संख्या 222 का शेप भाग
दक्षिण - गाटा संख्या 219

Atul Singh

Deviya

For M/s. Agrasheel Infotech Pvt. Ltd.
Authorized Signatory



भूमि की अनुसूची ('ए')-

क्षेत्रफल 0.571 हेक्टेयर के प्रतिफल

क्रेता-दिव्या सिंह

द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उनके भूमि क्षेत्रफल 0.128 हेक्टेयर के प्रतिफल शेयर के रूप में 45 % आवासीय विकसित भूमि परियोजना के प्रथम चरण में आवंटित किया जायेगा।

क्रेता-अक्षत शर्मा

द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उनके भूमि क्षेत्रफल 0.443 हेक्टेयर के प्रतिफल शेयर के रूप में 30 % आवासीय विकसित भूमि परियोजना के प्रथम चरण में आवंटित किया जायेगा।

ग्राम-बेली, तहसील- मोहन लाल गंज			
क्रम सं०	क्रेता	खसरा सं०	खरीदी /अनुबन्ध हुयी भूमि (हेक्टेयर में)
1	दिव्या सिंह	224	0.0207
2	दिव्या सिंह	226	0.0336
3	दिव्या सिंह	228	0.0207
4	दिव्या सिंह	259 ख	0.0039
5	दिव्या सिंह	260	0.0492
6	अक्षत शर्मा	222 मि	0.4430
			0.5711

Abhishek

Divya

For M/s. Agrasheel Infotech Pvt. Ltd.
Authorised Signatory



- 11- इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रथम पक्ष के पास अनुसूची 'ए' संपत्ति के शीर्षक को बेचने/बदलने का कोई अधिकार नहीं है।
- 12- दूसरा पक्ष अनुसूची 'ए' संपत्ति के साथ परियोजना विकसित करने के उद्देश्य में किसी भी अन्य भूमि को शामिल करने का हकदार होगा, पहले पक्ष को इस संदर्भ की ऐसी शर्तों पर आपत्ति नहीं होगी।
- 13- दूसरा पक्ष किसी भी अन्य भूमि के साथ अनुसूची 'ए' संपत्ति विकसित करेगा (इस समझौते के हिस्से के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से) और इसे नियोजित विकास के लिए उपयुक्त तरीके से पुनर्गठित और नया आकार दिया जा सकता है।
- 14- प्रथम पक्ष इस बात से सहमत है कि दूसरे पक्ष के पास परियोजना के सड़क-डेवलपर्स के रूप में अन्य कंपनी/कंपनियों को शामिल करने का विशेष अधिकार है और उनके साथ अलग समझौता करने का अधिकार है।
- 15- दूसरा पक्ष विकास कार्य हेतु (अनुसूची ए एवं अन्य भूमि) किसी भी अनुमति, अनुदान, सेवा कनेक्शन आदि के लिए सरकार, राज्य, केंद्र या स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों/संगठनों से संपर्क करने के लिए अधिकृत है।
- 16- भूमि प्रत्येक मूल भूखंड से विनियोजित की जाएगी और लागू भवन उपनियमों के मानदंडों के अनुसार विकास के विभिन्न घटकों को विकसित करने के लिए उपयोग की जाएगी, बशर्ते कि आंतरिक और बाह्य रूप से विकसित पुनर्गठित भूखंडों के रूप में प्रथम पक्ष का न्यूनतम हिस्सा उसकी मूल भूमि/प्लॉट क्षेत्र का विकसित भूखंड होगा। योजना के तहत विकसित भूखंड, ब्यासभव सीमा तक, भू- को उसी योजना में आवंटित किए जा सकते हैं, जिसके लिए भू- ने अपनी भूमि एकत्रित की है।
- 17- लेआउट योजना अनुसूची बी के अनुसार सजरा योजना पर अधिरोपित की जाएगी।
- 18- प्रथम पक्ष उन्हें आवंटित/आवंटित किये जाने वाले पुनर्गठित भूखंडों के बदले किसी भी विकास शुल्क या अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 19- द्वितीय पक्ष परियोजना का RERA पंजीकरण प्राप्त करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि और 6 महीने की अतिरिक्त छूट अवधि के भीतर परियोजना के विकास कार्यों को पूरा करेगा। परियोजना अवधि में विस्तार, मानदंडों और/या पार्टियों के बीच आपसी समझौते के अनुसार होगा, अप्रत्याशित घटना की स्थिति में अवधि को अप्रत्याशित घटना की स्थिति जारी रहने तक बढ़ाया जाएगा। "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ सीधे निम्नलिखित घटनाओं या स्थितियों में से कोई है, किसी पार्टी द्वारा उसके किसी भी प्रदर्शन को अप्रत्यक्ष रूप से बाधित करना, सीमित करना/असंभव बनाना इस समझौते के तहत दायित्व, जिनमें दैवीय कृत्य, युद्ध शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं (घोषित और अघोषित), आतंकवादी हमले, दंगे, नागरिक अशांति, हड़ताल, आग, भूकंप, विस्फोट, बाढ़, तोड़फोड़ या पार्टी के नियंत्रण से परे कोई अन्य घटना (प्रत्येक "अप्रत्याशित घटना") अनुबंध के तहत जिसे उसके दायित्वों के प्रदर्शन से रोका गया है।
- 20- विकसित भूमि का लागत मूल्यांकन दूसरे पक्ष द्वारा मौजूदा लागत दिशानिर्देशों (समय-समय पर संशोधित) के आधार पर किया जाएगा। विकसित भूखंडों के लिए आवंटन दर भी, जैसा लागू हो, द्वितीय पक्ष द्वारा तय की जाएगी। पुनर्गठित भूखंडों का 'अंतर मूल्य निर्धारण' द्वितीय पक्ष द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार किया जाएगा।
- 21- दूसरा पक्ष अपने हिस्से की भूमि का उपयोग भविष्य में वाणिज्यिक, मिश्रित उपयोग, समूह आवास और अन्य के लिए कर सकता है ताकि वृत्तियादी ढांचे के विकास की लागत और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए क्रॉस-सब्सिडी को सक्षम किया जा सके।
- 22- पुनर्गठित/विकसित भूखंडों का आवंटन भूमि स्वामी के पक्ष में निःशुल्क किया जायेगा।
- 23- परियोजना के सभी प्रकार से पूरा होने के बाद, दूसरा पक्ष पुनर्गठित/विकसित भूखंडों की सूचना प्रथम पक्ष को देगा और कब्जा देगा, जो आवंटन पत्र/संवहन विलेख/या दूसरे पक्ष द्वारा तय किए गए किसी अन्य तरीके के तहत प्रथम पक्ष को आवंटित किए गए हैं।

Handwritten signatures:
 1. *Handwritten signature (likely 'Anshu')*
 2. *Handwritten signature (likely 'Dinesh')*

For M/s. Agrasheel InfraTech Pvt. Ltd.
Handwritten signature
 Authorised Signatory

आवेदन सं: 202400821069775

भागीदारी विवेक

बही सं: 4

रजिस्ट्रेशन सं: 392

वर्ष: 2024

प्रतिकल- 0 स्वाम्य शुल्क- 5000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिनिधित्वक शुल्क - 40 योग : 540

श्रीमती दिवा सिंह,
पत्नी श्री आशुतोष सिंह,

व्यवसाय : व्यापार

निवासी: 1214-बी, गौर ग्रीन विस्ठा, नया खण्ड गावियाबाद उ०प्र०



ने यह लेखन इस कार्यालय में दिनांक 13/09/2024 एवं 04:50:35 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रार कार्यालय अधिकारी के हस्ताक्षर
कामना राय,
उप निबंधक: सदर तृतीय
लखनऊ
13/09/2024
बाबता सिंह,
निबंधक लिपिक
13/09/2024

400



For more information, contact:

- 24- पुनर्गठित/विकसित भूखंड को सौंपने के बाद, प्रथम पक्ष हस्तांतरण विलेख के लिए दूसरे पक्ष द्वारा बनाए गए प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार, भूखंडों के अपने हिस्से को हस्तांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 25- दूसरा पक्ष अपने हिस्से को तीसरे पक्ष को हस्तांतरण विलेख के लिए विज्ञापन देने और समझौतों में प्रवेश करने, विचार प्राप्त करने, रसीदें जारी करने, आय का विनियोग करने, ऐसे तीसरे पक्ष के खरीदारों को एटीएस/विक्री विलेख/पंजीकरण/अन्य हस्तांतरण निष्पादित करने और प्रस्तुत करने का हकदार होगा और प्रथम पक्ष को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरे पक्ष को प्रथम पक्ष की ओर से ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा।
- 26- राजस्व उक्त परियोजना के लिए खोले गए एस्क्रो खाते/रेरा खाते के तहत जमा किया जाएगा और रेरा अधिनियम के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार निकाला जाएगा।
- 27- यदि दूसरा पक्ष किसी विनीय संस्थान में परियोजना के लिए ऋण लेता है तो पहला पक्ष ऋण लेने के लिए भूमि के अपने हिस्से के स्वामित्व के कागजात भी प्रदान करेगा और दूसरा पक्ष किसी भी दायित्व के खिलाफ पहले पक्ष को क्षतिपूर्ति देगा जो ऋण संबंध में उत्पन्न हो सकती है।
- 28- शेयर का आवंटन परियोजना के विकास के लिए निर्धारित विभिन्न चरणों के अनुसार किया जाएगा।
- 29- दूसरा पक्ष निर्माण एवं विकास और /समग्र प्रबंधन के लिए बाहरी ठेकेदार/उप-ठेकेदार/एजेंसियों/सह-विकासकर्ता नियुक्त कर सकता है।
- 30- लाइसेंसिंग एवं बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन समेत सभी मंजूरी और (इन्हीं तक सीमित नहीं होगी) दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी होगी।
- 31- दूसरा पक्ष पहले पक्ष के अधिकारों में बाधा डाले बिना, परियोजना का विकास और/या समग्र प्रबंधन के लिए, जेडीए, कंसोर्टियम समझौता, सहयोग समझौता, एमओयू इत्यादि जैसे अन्य समझौतों में प्रवेश कर सकता है, जो उसे निर्माण और निर्माण के उद्देश्य के लिए उपयुक्त लगता है। इसके अलावा, दूसरे पक्ष को इस समझौते के तहत अपने अधिकारों को उक्त उद्देश्य के लिए तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने का अधिकार है। दूसरे पक्ष को प्रथम पक्ष की ओर से ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा।
- 32- प्रथम पक्ष अपनी सहमति देता है, दूसरे पक्ष या परियोजना के निर्माण और विकास और/या समग्र प्रबंधन के लिए दूसरे पक्ष द्वारा नियुक्त किसी तीसरे पक्ष को परियोजना का लोगो, नाम और वेबसाइट/वाजार/ब्रांडिंग करने का निर्णय लेने का अधिकार होगा। प्रोजेक्ट और संबंधित कंपनियों को ब्रांड करें।
- 33- दूसरा पक्ष सक्षम प्राधिकारियों से एनओसी और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- 34- दूसरे पक्ष को परियोजना में परिसर की विक्री के संबंध में नियामक निकायों, सोसायटी, रजिस्ट्रार और किसी अन्य तीसरे पक्ष के समक्ष प्रतिनिधित्व करने और परिसर की विक्री के लिए आवश्यक या प्रासंगिक सभी कार्य करने का अधिकार होगा।
- 35- यदि कोई भी पक्ष यहां निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो ऐसी असहमति के समय प्रचलित दर पर एसबीआई एमसीएलआर + 1% ब्याज राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे या अथवा दोनों पक्षों द्वारा किये गए व्यावसायिक नुकसान, जो भी ज्यादा हो का भुगतान करना होगा।
- 36- दूसरे पक्ष को एलडीए/संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित की जाने वाली योजनाओं के अनुसार और एलडीए/संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वीकृत नियमों और शर्तों के अनुसार विकास भूमि पर परियोजना में भवन विकसित करने और निर्माण करने का अधिकार होगा।
- 37- दूसरे पक्ष को सभी प्रकार से परियोजना का प्रबंधन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने और उसके भौतिक कब्जे और उक्त समझौते के अनुसार अन्य दायित्वों का अधिकार होगा।
- 38- दूसरे पक्ष को संबंधित अधिकारियों, बिजली बोर्ड या किसी अन्य बिजली आपूर्ति कंपनी और अन्य संबंधित अधिकारियों को उनके उपनियमों, नियमों और विनियमों और विशिष्टताओं के अनुसार ऐसी योजनाएं, लेआउट, समामेलन, उप प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। - विकास भूमि का विभाजन, आरक्षण का स्थानांतरण और उपरोक्त उद्देश्य के लिए सभी आवेदनों, योजनाओं, विशिष्टताओं, कार्यों, दस्तावेजों, लेखों, शपथपत्रों, उपक्रमों, क्षतिपूर्ति आदि पर हस्ताक्षर करना और निष्पादित

Handwritten signature

Handwritten signature

For M/s. Agrasheel Infotech Pvt. Ltd.
Authorized Signatory

करना, जैसा कि अनुसंधान और अनुसंधान के लिए आवश्यक हो सकता है। एक लेआउट, समामेयन, उप-विभाजन, योजनाओं और विशिष्टताओं और उनमें संशोधन, संशोधित योजनाओं और/या आईओटी जारी करना और परियोजना के संबंध में प्रारंभ प्रमाण पत्र लेने का अधिकार होगा।

39- संशोधन, किसी भी नियम, अर्थों में कोई वृद्धि, परिवर्तन या संशोधन नहीं यहां उल्लिखित प्रावधान इनमें से किसी पर भी बैंड, सक्रिय, प्रभावी और बाध्यकारी नहीं होंगे जब तक इसे लिखित रूप में दर्ज नहीं किया जाता है और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाता है।

40- इस अनुबन्धपत्रके अनुच्छेद अथवा अनुबन्ध पत्र के बाहर यदि किसी प्रकार का मत भेद। विवाद उत्पन्न होता है तो उसको दोनों पक्ष आपसी विचार-विमर्श से समाधान निकालेंगे। यदि आपसी समझौते से विवाद नहीं सुलझ पाता है तो तृतीय पक्ष की मध्यस्थता से विवाद। मतभेद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तृतीय पक्ष की मध्यस्थता एक्ट 1996 आर्बिट्रेशन एंड कौन्सिलिएशन के तहत रहेगी। मध्यस्थता की सुनवाई नई दिल्ली या कोर्ट नई दिल्ली जूरिडिक्शन का होना चाहिए।

41- शर्मा कानून, यह समझौता भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार शामिल और व्याख्या किया जाएगा और इस समझौते से संबंधित या इसमें उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में नई दिल्ली के न्यायालयों के पास विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

42- सहयोग अनुबन्ध पत्रके पंजीकरण के लिए देय स्टाम्प शुल्क द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

क्रेता-दिव्या सिंह

(आधार संख्या- 995088217193)

(पैन संख्या- ELCPS4219E)

पता -W/O अशुशील सिंह, 1314 - B, गौर दीन बिस्टा, नया खण्ड -1, गाजियाबाद, ऊ० प्र० - 201010

क्रेता-अक्षय शर्मा

(आधार संख्या-563724055257)

(पैन संख्या- EEZPS0825A)

पता -S/O अतुल शर्मा, 401 टी1, मेन हापुर रोड, पोलीस लाईन, हर्माओ, पंचलीन प्राइम रोड, गाजियाबाद, ऊ० प्र० -201001

लखनऊ

दिनांकित: 15/03/2024

गवाह :-

1 श्री अखिलेश कुमार सिंह
पुत्र श्री कृष्ण कुमार सिंह
राईवीगो सुल्तानपुर ऊ प्र
M :- 9953875279



(Signature)

2 श्री दीपक यादव

पुत्र श्री दयाराम यादव

सतरिख रोड ग्राम व पोस्ट भिटौली कला बाराबंकी

M :- 7497970277



(Signature)



(Signature of Divya Singh)



(Signature of Akshay Sharma)

प्रथम पक्ष/मालिक : दिव्या सिंह, अक्षय शर्मा



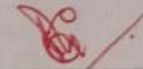
दूसरा पक्ष/निर्माता : अशुशील इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड

For M/s. Ashish Infra Tech Pvt. Ltd.
(Signature)
Authorized Signatory

आवेदन सं०: 202400821069775

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 721 के पृष्ठ 351 से 360 तक क्रमांक
392 पर दिनांक 13/09/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



कामना राय .

उप निबंधक : सदर तृतीय

लखनऊ

13/09/2024

